दिनांक 15.11.2022
प्रेस विज्ञप्ति 15/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना कृष्णानगर

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 15.11.2022 को थाना कृष्णानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाराबिरवा लेबर मण्डी के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–कृष्ण मोहन 2–लालचन्द्र उर्फ लल्ला को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त कृष्ण मोहन के विरूद्ध जनपद संतकबीरनगर, कमिश्नरेट कानपुर, लखनऊ के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, धोखाधड़ी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कृष्णानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–322/2017 धारा 379/411/467/468/471 भादवि में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25–25 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित थे।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कृष्ण मोहन निवासी ग्राम कसिदहा थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

2–लालचन्द्र उर्फ लल्ला निवासी ग्राम शेखपुर थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज।

जनपद रायबरेली/थाना मिलएरिया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15.11.2022 को थाना मिलएरिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने के आभूषण, 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मिलएरिया पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मिलएरिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुशील कुमार निवासी ग्राम खुदायपुर थाना गदागंज जनपद रायबरेली।

बरामदगी

1–लूट के सोने के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना खुटार

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 15.11.2022 को थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोल्ड स्टोरेज के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इस्माइल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुटार पर पंजीकृत मु0अ0सं0–510/2022 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खुटार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इस्माइल निवासी ग्राम बरकलीगंज थाना खुटार जनपद शाहजहॉपुर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जारचा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 15.11.2022 को थाना जारचा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम प्यावली नहर पुल चौराहा के पास कार सवार बदमाशों की घेराबन्दी गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—केशव उर्फ गोलू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—पवन उर्फ छोटू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त केशव उर्फ गोलू के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, हापुड़, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है। थाना जारचा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा कार लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जारचा पर मु0अ0सं0—212/2022 धारा 394 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर बरामदगी व गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद कार उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जारचा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—केशव उर्फ गोलू निवासी ग्राम ऊॅचा अमीरपुर थाना जारचा , गौतमबुद्धनगर।

2—पवन उर्फ छोटू निवासी ग्राम जैतपुर थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस ।

जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी का 01 ट्रक व 01 अधकटी ट्रक**
- **चोरी के विभिन्न वाहनों के भारी मात्रा में कटे पुर्जे**
- **35 हजार 200 रूपये नगद**
- **चोरी की घटना में प्रयुकत 01 ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 स्कार्पियो वाहन**
- **01 गैस कटर आदि बरामद**

दिनॉकः 15.11.2022 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गंछा के खेत से 06 अभियुक्तों 1–मोहम्मद अहमद 2–मुन्ना 3–जाबिर 4–विकास 5–मोईन 6–महमूद को गिरफ्तार किया गया । अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी का 01 ट्रक व 01 अधकटी ट्रक, चोरी के विभिन्न वाहनों के भारी मात्रा में कटे पुर्जे, 35 हजार 200 रूपये नगद, चोरी की घटना में प्रयुकत 01 ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 स्कार्पियो वाहन, 01 गैस कटर आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके कब्जे/निशादेही से बरामद ट्रक/अधकटी ट्रक, पुर्जे आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस समबन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहम्मद अहमद निवासी लोहार तलैया खाईपार थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

2–मुन्ना निवासी निम्नीपार मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

3–जाबिर निवासी कलामत मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

4–विकास निवासी तिन्दवारी रोड मण्डी समिति कालूकुआं थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

5–मोईन निवासी निम्नीपार मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

6–महमूद निवासी मर्दननाका थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

बरामदगी

1–चोरी का 01 ट्रक व 01 अधकटी ट्रक।

2–चोरी के विभिन्न वाहनों के भारी मात्रा में कटे पुर्जे।

3–35 हजार 200 रूपये नगद।

4–चोरी की घटना में प्रयुकत 01 ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 स्कार्पियो वाहन।

5–01 गैस कटर आदि ।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना सदर बाजार

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख रूपये कीमत के धोखाधड़ी के सोने के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 15.11.2022 को थाना सदर बाजार व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज स्टैण्ड के पास से 05 अभियुक्तों 1–मोबीन 2–मुश्तकीम 3–मुजाहिद 4–मो0 नासिर उर्फ गुड्डू 5–वसीम उर्फ गुड्डे को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख रूपये कीमत के धोखाधड़ी के सोने के आभूषण, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मुजाहिद के विरूद्ध जनपद बरेली, शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग, अभियुक्त मोबीन के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के विभिन्न थानों पर धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट के 07 अभियोग व अभियुक्त मुश्तकीम व अभियुक्त वसीम उर्फ गुड्डे के विरूद्ध जनपद शाहजहॉपुर के थाना सदर बाजार पर धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा भीड भाड वाले स्थानों अथवा ऐसे स्थानों पर पहुॅच जाते हैं, जहॉ से अन्यत्र जाने वाली सवारी मिलती है तथा वहां जाकर सीधा साधा व्यक्ति/महिला देखकर उससे बातचीत करके खुले आभूषण अथवा रूपये चेकिंग के कारण न ले जाने का बहाना बनाकर उनके आभूषण व नगदी एक लिफाफा अथवा कागज में रखवा लेते हैं तथा धोखाधड़ी कर कागज/लिफाफे बदल देते हैं ।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–मोबीन निवासी मो0 स्वाले नगर थाना किला जनपद बरेली।

2–मुश्तकीम निवासी मोहल्ला महेशपुरा थाना सी0बी0गंज जनपद बरेली।

3–मुजाहिद निवासी मोहल्ला बासमण्डी थाना कोतवाली जनपद बरेली।

4–मो0 नासिर उर्फ गुड्डू निवासी मोहल्ला किला मोतीलाल बजरिया थाना किला जनपद बरेली।

5–वसीम उर्फ गुड्डे निवासी मोहल्ला किला छावनी थाना किला जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 02 लाख रूपये कीमत के धोखाधड़ी के सोने के आभूषण।

2–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

3–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 जीवित कारतूस आदि।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः15.11.2022 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–97 सर्विस रोड पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शाहरूख घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानो ंपर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शहरूख निवासी सेक्टर—12 मिर्जापुर प्रताप विहार थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1—02 मोबाइल फोन।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 01 खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बादलपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनॉकः 14.11.2022 की रात्रि थाना बादलपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भारत धरमकांटा जीटी रोड छपरौला पर चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—प्रदीप उर्फ बौना 2—गौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन(09 मो0सा0, 01 स्कूटी) आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त प्रदीप उर्फ बौना के विरूद्ध जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बादलपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—प्रदीप उर्फ बौना निवासी कावा की सराय थाना देहली गेट जनपद अलीगढ हाल पता एस्कोर्ट कालोनी रूपवास मोड थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2—गौरव निवासी रामपुर बदरपुर थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 10 दो पहिया वाहन(09 मो0सा0, 01 स्कूटी) आदि।

➢ **<u>जनपद उन्नाव/थाना पुरवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0डी0जे0 प्रथम जनपद उन्नाव द्वारा थाना पुरवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———